उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		मुरारीलाल V/S रविन्द्रकुमार वगैरह 137/2026 दावा
	2/1/24	फायली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र विड्रा करने का पेश किया। शा० कि० किया गया। वकील वादी ने वादी मुरारीलाल के फौत होने पर मृतक मुरारीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। असल से मिलान किया गया जो सही पाया गया। कायम मुकाम का मुख्त्यार आम पेश किया गया जो सही पाया गया मुख्त्यार आम का वकालतनामा शा० मिसल है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रा करने पर सुना गया। वादीगण के अधिवक्ता की दलीलें उचित प्रतीत होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विड्रा करने की अनुमति दी जाती है एवं दावा (विड्राल) खारिज किया जाता है। फायली फैसल शुमार होकर बाद एकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर बाद बोर्ड।

Relevant
Relevantly

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)